

लोक सुनवाई का वृत्त।

मेसर्स गौतम फिलिंग सेन्टर, बबिता सिन्हा (प्रोपराईटर), पिता: कृष्णा प्रसाद, ग्राम-खेमदा, पो0+थाना-बारुण, जिला-औरंगाबाद द्वारा सोन नदी बालु घाट-09, मौजा-तेजपुरा, पो0-तेजपुरा, ब्लॉक-ओबरा, जिला-औरंगाबाद अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक 23.06.2023 को अपराह्न 03:30 बजे प्रखण्ड सभागार, दाउदनगर, जिला-औरंगाबाद के प्रागण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2089/2022, dated 11.01.2023 के आलोक में श्री आशीष कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता, औरंगाबाद (जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दिनांक 23.06.2023 को अपराह्न 03:30 बजे प्रखण्ड सभागार, दाउदनगर, जिला-औरंगाबाद में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा द टाइम्स ऑफ इंडिया एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 10.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, गया द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा औरंगाबाद सोन नदी बालु घाट-09, मौजा-तेजपुरा, पो0-तेजपुरा, ब्लॉक-ओबरा, जिला-औरंगाबाद के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉंगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमीर अख्तर ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनी प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनी यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री बंसत सिंह, पिता: श्याम नारायण सिंह, ग्राम-तेजपुरा, जिला-औरंगाबाद।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान आँखों में पड़ने वाले धूल-कण को राकने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार एवं लेसी प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार टैंकर के द्वारा जल का छिड़काव किया जायेगा। साथ ही बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा। इसप्रकार श्री बंसत सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

2.	<p>श्री अनुप यादव, पिता: स्व0 हरिनारायण सिंह, ग्राम-तेजपुरा, जिला-औरंगाबाद।</p>	<p>इनके द्वारा प्रदूषण की रोक-थाम से संबंधित प्रश्न पूछा गया।</p> <p>इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि वायु प्रदूषण नियंत्रण की रोक-थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगा:-बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा साथ ही खनन क्षेत्र के आस-पास सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धूलकण का कुप्रभाव न हो।</p> <p>जल प्रदूषण नियंत्रण की रोक-थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगा:-बालू खनन क्षेत्र में बालू की खुदाई 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा।</p> <p>ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण की रोक-थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगा:-लेसी के द्वारा पुराने वाहनो का संचालन नही करने का निदेश दिया गया।</p> <p>इसप्रकार श्री अनुप यादव को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।</p>
3.	<p>श्री उपेन्द्र साव, पिता: स्व0 बालेश्वर साव, ग्राम-तेजपुरा, जिला-औरंगाबाद।</p>	<p>इनके द्वारा बालू खनन के दौरान रोजगार से संबंधित प्रश्न पूछा गया।</p> <p>इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार एवं लेसी प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख-रेख एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार श्री उपेन्द्र साव को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।</p>




अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे, घाटो पर बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेंगे, प्रदूषण की समस्या से संबंधित सभी सुझाव को बताया गया एवं लेसी को निदेश दिया गया कि रोजगार के लिए ओबरा अंचल के लोगो को ही रोजगार देंगे तथा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी से कम नहीं देंगे। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।








क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्वद, गया



अपर समाहर्ता
औरंगाबाद

उपस्थिति सूची

मेसर्स गौतम फिलिंग सेन्टर, बबिता सिन्हा (प्रोपराईटर), पिता: कृष्णा प्रसाद, ग्राम-खेमदा, पो0+थाना-बारुण, जिला-औरंगाबाद द्वारा सोन नदी बालु घाट-09, मौजा-तेजपुरा, पो0-तेजपुरा, ब्लॉक-ओबरा, जिला-औरंगाबाद का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक: 23.06.2023 को 02:00 बजे अपराहन में प्रखण्ड सभागार, दाउदनगर, जिला-औरंगाबाद में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Asbish Kumar Singh	ADM Aurangabad	 23.6.23
2.	Manokaran Kumar Singh	R.O, B.S.P. G.Bd. Yaya	 23.06.23
3.	Widesh Mishra	Jr Manager Rion Enviro Pvt Ltd.	 23/6/23
4.	AMIR AKHTAR	Rion Enviro Pvt Ltd Patna	 23/6/23
5.	जयनंद सिंह	तेजपुरा	जयनंद सिंह
6.	शिवहर कुमार	बारुण 9546781581	शिवहर कुमार
7.	पंचम कुमार	बारुण 9334012251	पंचम कुमार
8.	मीठे कैफ	तेजपुरा 7254884049	मीठे कैफ
9.	मीठे कैफ	बारुण 6204993799	

10.	श्रीरवत कुमाल	तेजपुरा 8541907995	श्रीरवत कुमाल
11.	जगन्नाथराव चौकी	तेजपुरा 90069 80225	जगन्नाथराव चौकी
12.	विवेक कुमाल	तेजपुरा 8603950089	विवेक कुमाल
13.	राजु कुमाल	तेजपुरा 8877626966	राजु कुमाल
14.	राजु कुमाल	706510063 तेजपुरा	राजु कुमाल
15.	सत्यनंद राव	तेजपुरा	सत्यनंद राव
16.	अशोक कुमाल	तेजपुरा	अशोक कुमाल
17.	लालु यादव	तेजपुरा	लालु यादव
18.	राजय कुमाल	तेजपुरा 8797240004	Ranjay Kumar
19.	रंजीत कुमाल	तेजपुरा	रंजीत कुमाल
20.	वसंत सिंह	डिहरा 62000 76643	वसंत सिंह

21.	नवनील कुमार	पता - नैजपुरा 6203884758	Mansur in P
22.	वीर सिंह	पता - नैजपुरा 8252 505398	chola
23.	अशोक कुमार	पता - नैजपुरा	A. अशोक कुमार
24.	निरज कुमार	पता - नैजपुरा	निरज कुमार
25.	Santosh Kumar	Tespura	Santosh
26.	विराज कुमार	नैजपुरा	विराज कुमार
27.	निरज चावला	नैजपुरा	निरज चावला
28.	Arundhan Kumar	नैजपुरा	
29.	Bipin Kumar	नैजपुरा	Bipin Kumar
30.	शुभेन्द्र कुमार चावला	नैजपुरा	शुभेन्द्र चावला
31.	सुरज कुमार	नैजपुरा 7295019173	Suraj Kumar

नैजपुरा सुभा

32.	Rajini Kumar	Madangau. 7541068572	Rajini Kumar
33.	Ravi Pandey	D. Nagar 999902296	<u>R</u>
34.	54577 Kym	D. Nagar 9523081277	सुनील कुमार
35.	शान्तलाल शर्मा	नयापुरा 7050428504	शान्तलाल
36.	श्रीराम प्रसाद	दिल्ली	उपेन्द्र कुमार
37.	उमेश सिंह	दिल्ली	उमेश सिंह
38.	निशान सिंह	नयापुरा 8651312657	Mishra Singh
39.	श्रीनिवास कुमार	दिल्ली 8409369692	Shri
40.	Utkar Kumar	नयापुरा 7542074473	<u>U</u>
41.	NANU SINGH	DIHRA 7004300719	NANU
42.	Nagendra Kumar	DIHRA 6200745945	<u>N</u>